

थाना सेहरामऊ दक्षिणी पुलिस एवं एस0ओ0जी0 टीम को मिली बड़ी कामयाबी

अन्तर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्कर गिरफ्तार, अन्तर्राष्ट्रीय बाजार मे करीब 45 लाख रु0 कीमत की 4.5 किलो (चार किलो 500 ग्राम) चरस, नगदी, मोबाइल फोन इत्यादि सामान बरामद ।

उत्तर प्रदेश शासन, एवं वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश के अनुरूप जनपद शाहजहांपुर मे मादक पदार्थ तस्करों के विरुद्ध लगातार प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। उक्त क्रम में ही दिनांक 28.11.2023 को एस0ओ0जी0 टीम एवं थाना सेहरामऊ दक्षिणी पुलिस द्वारा संयुक्त कार्यवाही मे एक अन्तर्राष्ट्रीय अफीम तस्कर को थाना सेहरामऊ क्षेत्रान्तर्गत गिरफ्तार किया गया है। थाना सेहरामऊ दक्षिणी पुलिस को प्रातः कालीन गस्त के दौरान विश्वस्त सूत्रो से सूचना मिली आज एक व्यक्ति कही बाहर से कोई नशीला पदार्थ लेकर सेहरामऊ दक्षिणी होकर गुजरेगा। उक्त सूचना को तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों से साझा किया गया, जिस पर थाना सेहरामऊ दक्षिणी एवं जनपदीय एसओजी की एक संयुक्त टीम गठित करते हुये मादक पदार्थ तस्कर के विरुद्ध कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया।

श्री अशोक कुमार मीणा, पुलिस अधीक्षक शाहजहांपुर के निर्देशानुसार अपर पुलिस अधीक्षक नगर के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी अपराध के निकट पर्यवेक्षण मे पुलिस टीम द्वारा हरदोई-शाहजहांपुर मार्ग पर बादशाहनगर चौराहे से प्रातः समय करीब 10.30 बजे मुखबिर की सूचना पर एक नेपाल राष्ट्र के रहने वाले मोहम्मद इकबाल पुत्र स्व0 मोहम्मद मारुफ निवासी मोहल्ला व थाना कृष्णा नगर वार्ड नं0 3 जिला कपिलवस्तु नेपाल व हाल निवासी वार्ड नं0 3 लोहिया नगर बरहनी सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश को गिरफ्तार किया गया है जिसके कब्जे से कुल 4.5 किलो (चार किलो 500 ग्राम) चरस बरामद की गयी है। बरामदा चरस की कीमत अन्तर्राष्ट्रीय बाजार मे करीब 45 लाख रुपये है। मा0न्यायालय अपर जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं0 11 में विचाराधीन मु0अ0सं0 870/22 धारा 420/467/468/471 भा0द0वि0 व 08/22 एन.डी.पी.एस एक्ट थाना रोजा जिला शाहजहांपुर में अभियुक्त मोहम्मद इकबाल उपरोक्त विगत काफी समय से वांछित था जिसमें मा0न्यायालय द्वारा गैर-जमानती वारेण्ट जारी किया गया है। गिरफ्तार किया गया अभियुक्त के विरुद्ध थाना सेहरामऊ दक्षिणी पर N.D.P.S के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार का स्थान/समय:

हरदोई-शाहजहांपुर हाईवे बादशाहनगर चौराहा दिनांक 28.11.2023 प्रातः समय करीब 10.30 बजे।

गिरफ्तार किये गये अभियुक्त का नाम/पता:

1. मोहम्मद इकबाल पुत्र स्व0 मोहम्मद मारुफ निवासी मोहल्ला व थाना कृष्णा नगर वार्ड नं0 3 जिला कपिलवस्तु (नेपाल) व हाल निवासी वार्ड नं0 3 लोहिया नगर बरहनी सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश।

पंजीकृत अभियोग का विवरण:

मु0अ0सं0 534/2023 धारा 8/20 N.D.P.S ACT थाना सेहरामऊ दक्षिणी, जिला शाहजहांपुर।

आपराधिक इतिहास:

1. मु0अ0सं0 870/22 धारा 420/467/468/471 भा0द0वि0 व 8/22 एन.डी.पी.एस एक्ट थाना रोजा जनपद शाहजहांपुर
2. मु0अ0सं0 61/15 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट थाना बाबूपुरवा जनपद कानपुर।
3. मु0अ0सं0 327/14 धारा 8/18/21/22/27 एन.डी.पी.एस. एक्ट थाना बाबूपुरवा जनपद कानपुर।
4. मु0अ0सं0 328/14 धारा 8/18/21/22 एन.डी.पी.एस. एक्ट थाना बाबूपुरवा जनपद कानपुर।

पूछताछ का संक्षिप्त विवरण:

पकडे गये अभियुक्त मोहम्मद इकबाल ने पूछताछ करने पर बताया कि मैं मूल रूप से नेपाल का रहने वाला हूँ नेपाल में भांग की खेती काफी होती है व बहुत अच्छी क्वालिटी की चरस सस्ते रुपयों में मिल जाती है जिसकी मुम्बई/दिल्ली व पश्चिमी उ०प्र० में काफी मांग रहती है एवं काफी मंहगी बिकती है। एक बार माल सप्लाई करने के आसानी से लाख 50 हजार रुपये बच जाते हैं। मैं काफी समय से यह काम कर रहा हूँ पहले में दो बार कानुपर व एक बार शाहजहाँपुर में पकडा भी चा चुका हूँ लेकिन जेल से छूटकर मैं फिर से यही काम करने लगता हूँ। रुपयों के लालच में कल मैं फिर बढनी(सिद्धार्थनगर) से चरस लेकर सहारनपुर जा रहा था मैंने काफी चालाकी भी दिखाई लेकिन फिर भी मय चरस के पुलिस ने पकड लिया।

बरामदगी का विवरण:

1. करीब 4.5 किलो (चार किलो पाँच सौ ग्राम) (कीमत 45 लाख रुपये)
2. एक अदद मोबाईल फोन कीपैड
3. 2410/- रुपये नगद

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम का विवरण:

(एस०ओ०जी० टीम)

1. निरीक्षक श्री रितेन्द्र प्रताप सिंह
2. मु०आ० 157 उदयवीर सिंह
3. मु०आ० 243 मौ० तौसिम हैदर
4. हे०का० 241 रामसंजीवन
5. का० 1435 दिलीप कुमार
6. का० 1943 कमल कुमार
7. चालक हे०का० कपिल ठाकुर

(सर्विलान्स टीम)

1. का० 1805 प्रभात कुमार
2. का० 1982 शिवम कुमार

(थाना सेहरामऊ दक्षिणी)

- 1-श्री रोहित कुमार, से०म०द०
- 2.उ०नि० श्री योगेन्द्र बहादुर सिंह
- 3.हे०का० 384 राजकुमार अत्री
- 4.का० 2676 नितिन कुमार
5. का० 2792 अतुल शाक्य
6. का० 2790 शिवकुमार
- 7.म०का० 2885 पारुल
8. का० चालक नीरज कुमार